

“ मद्रसे का निरीक्षण प्रतिवेदन ”

मद्रसे के निरीक्षण हेतु मापदण्ड :-

1. म.प्र. मद्रसा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य परंपरागत मद्रसा को दीनी तालीम के साथ-साथ उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता के मान से यदि परंपरागत मद्रसा न होकर नया मद्रसा स्थापित होता है तो म.प्र. मद्रसा बोर्ड ऐसे मद्रसों का भी पंजीयन करता है।
2. मद्रसा पूर्व से संचालित हो या नवीन स्थापित हो मद्रसा बोर्ड में ऑनलाईन पंजीयन आवेदन उपरांत उसका निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त होने पर ही मद्रसे को बोर्ड की कार्यालय पंजी में दर्ज किया जायेगा।
3. निरीक्षण के दौरान परंपरागत मद्रसा जो केवल दीनी तालीम पढ़ रहे हैं वह संचालित पाये जा सकते हैं एवं ऐसे मद्रसे जो नवीन स्थापित हुये हैं और जो बोर्ड में पंजीकृत/मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में है उनमें छात्र अध्ययनरत् नहीं पाये जा सकते हैं। उक्त दोनो प्रकार के मद्रसों का निरीक्षण होना है।
4. निरीक्षण में जांचने योग्य मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :-
 - 4.1. सर्वप्रथम क्षेत्र में मद्रसे की आवश्यकता का मान देखना।
 - 4.2. मद्रसे के भवन का निरीक्षण इस आशय से किया जाना है कि मद्रसे स्थापित होने योग्य है या नहीं।
 - 4.3. मद्रसा संचालन समिति के ऑनलाईन पंजीयन आवेदन अनुसार पदाधिकारियों की जानकारी का मिलान करना। उस समिति में 2/3 पदाधिकारी मद्रसे के आस-पास के क्षेत्र के भी सम्मिलित हैं कि नहीं की पुष्टि करना।
 - 4.4. मद्रसा जिस संकुल केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित हुआ है उस संकुल केन्द्र से मद्रसे को अवगत कराना एवं मद्रसे के सुचारु संचालन हेतु अद्यतन जानकारियों के आदान-प्रदान हेतु संबंधित संकुल केन्द्र के लगातार संपर्क में रहने हेतु प्रेरित करना।
 - 4.5. मद्रसे से संबंधित किसी भी वाद-विवाद/जानकारी के आदान प्रदान हेतु मद्रसा संचालन समिति के अध्यक्ष/सचिव/हेडमास्टर का दायित्व सुनिश्चित कराना।
5. निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप उपलब्ध कराया जा रहा है इसके अनुसार नवीन स्थापित मद्रसे एवं पूर्व से संचालित परंपरागत मद्रसों का निरीक्षण कर वास्तविक जानकारी इसमें भरकर जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा टीप अंकित कर मद्रसा बोर्ड को ऑनलाईन Login ID के माध्यम से भेजें। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0755-2735931 एवं 8109913781 निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप इस प्रकार है :-

निरीक्षण का दिनांक :

ऑनलाईन मदरसा पंजीयन आवेदन क्रमांक

ऑनलाईन पंजीयन आवेदन फार्म अनुसार –

1. मदरसे का नाम
2. मदरसे का पूर्ण पता
मोहल्ले/स्थान का नाम वार्ड क्रमांक
गांव/शहर विकास खण्ड
तहसील का नाम जिले का नाम पिन कोड न.
3. मदरसा संचालन समिति का नाम
4. मदरसा लगने का समय प्रातः से तक सांय : से तक ।
मदरसे पर निरीक्षण के समय दर्ज छात्र/छात्राओं की संख्या : छात्र छात्रा । संख्या अनुसार
छात्र/छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है.....नहीं है..... ।
5. शिक्षकों की संख्या शौचालय की व्यवस्था है.....नहीं है..... । पेयजल व्यवस्था
है.....नहीं है..... ।
6. मदरसे में केवल दीनियात की पढ़ाई हो रही है हॉ.....नहीं..... ।
7. दीनियात के साथ आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई हो रही है हॉ.....नहीं..... ।
8. मदरसे में अध्ययन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है हॉ.....नहीं..... ।
9. जमीन एवं भवन की जानकारी : भवन किराया/स्वयं/मस्जिद का है
कक्षा/कक्षों की संख्या बिजली है.....नहीं है..... ।
10. मदरसे पढ़ाने वाले शिक्षकों का विवरण :-

क्र.	नाम शिक्षक	विषय के नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.		अरबी, दीनियात, उर्दू	
2.		हिन्दी/अंग्रेजी	
3.		गणित, विज्ञान	
4.		समाजिक विज्ञान, पर्यावरण	

11. मदरसे के स्थल निरीक्षण व जानकारी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ता की टीप :-
.....
.....

12. मदरसे की मान्यता जारी करने के संबंध में निरीक्षणकर्ता की टीप अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी का स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा :-
.....
.....

नोट :- मदरसे की निरीक्षण टीप एवं मान्यता प्रदान करने हेतु अनुशंसा, मदरसे के स्थल निरीक्षण के आधार पर दी जाये ।

हस्ताक्षर निरीक्षण कर्ता
सील सहित

प्रति हस्ताक्षर एवं सील
जिला शिक्षा अधिकारी